[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, 24th December, 2020

G.S.R.(E)....... In exercise of powers conferred by section 3, sub-section (1) of section 7 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014 namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Third Amendment Rules, 2020.

   (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (herein after referred to as the said rules),after rule 9, the following rule shall be inserted with effect from 26th January, 2021, namely:-

   "**9A. Extension of reservation of name in certain cases** - Upon payment of fees provided below through the web service available at www.mca.gov.in, the Registrar shall extend the period of a name reserved under rule 9 by using web service SPICe+ (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically Plus: INC-32), upto:

   (a) forty days from the date of approval under rule 9, on payment of fees of rupees of one thousand rupees made before the expiry of twenty days from the date of approval under rule 9;

   (b) sixty days from the date of approval under rule 9 on payment of fees of rupees two thousand made before the expiry of forty days referred to in clause (a) above;

   (c) sixty days from the date of approval under rule 9 on payment of fees of rupees three thousand made before the expiry of twenty days from the date of approval under rule 9:

   Provided that the Registrar shall have the power to cancel the reserved name in accordance with sub-section (5) of section 4 of the Act."

3. In the said rules, in the annexure, in SPICe+ (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically Plus FORM NO. INC-32), for Part –A, the following part shall be substituted, namely:-

"PART – A

1. (a) Type of Company [ ]
   LLPIN [ ]
   (b) Class of Company [ ]
   (c) Category of Company [ ]
   (d) Sub-category of Company [ ]

2. Main division of industrial activity of the company [ ]
   Description of the main division [ ]

   a.Summary of the objects to be pursued by the company on its incorporation

   Please make sure to mention the objects of the proposed company and relevant comments

   You may include a document that supports your name reservation below.

3. Particulars of the proposed or approved name

i.	
ii.	

Choose File   No File Chosen

Auto-Check   Save   Submit"

[F. No. 1/13/2013 CL-V, Vol.III]

24/12/2020

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and last amended *vide* number G.S.R.169 (E), dated the 12th March, 2020.

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसंबर, 2020

सा.का.नि. (अ). केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 3, धारा 7 की उप-धारा (1) और धारा 469 की उप- धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2020 है।
(2) इन नियमों में प्रदत्त अन्यथा के सिवाय, ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में, (इसके बाद इसे उक्त नियम कहा जाएगा), नियम 9 के पश्चात् 26 जनवरी, 2021 से निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"**9क. कतिपय मामलों में नाम के आरक्षण की व्याप्ति -** www.mca.gov.in पर उपलब्ध वेब सेवा के माध्यम से नीचे दिए गए शुल्क के भुगतान के उपरांत, रजिस्ट्रार वेब सेवा एसपीआईसी + (कंपनी को प्लस प्ररूप संख्या आईएनसी-32 में इलैक्ट्रॉनिक आधार पर निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रपत्र) का उपयोग करके नियम 9 के अधीन आरक्षित किसी नाम की अवधि निम्नलिखित तक बढ़ाएगा:-

(क) नियम 9 के अधीन अनुमोदन के तारीख से चालीस दिन, नियम 9 के अधीन अनुमोदिन के तारीख से बीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व किए गए एक हजार रूपये के शुल्क के भुगतान पर;
(ख) नियम 9 के अधीन अनुमोदन के तारीख से साठ दिन, उक्त खंड (क) में संदर्भित चालीस दिन की समाप्ति से पूर्व किए गए दो हजार रूपये के शुल्क के भुगतान पर;
(ग) नियम 9 के अधीन अनुमोदन के तारीख से साठ दिन, नियम 9 के अधीन अनुमोदिन के तारीख से बीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व किए गए तीन हजार रूपये के शुल्क के भुगतान पर;

परंतु यह भी कि रजिस्ट्रार के पास इस अधिनियम की धारा 4 उप-धारा (5) के अनुसार आरक्षित नाम को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

3. उक्त नियमों में, अनुलग्नक में, भाग-क के लिए एसपीआईसी + (कंपनी को प्लस प्ररूप संख्या आईएनसी-32 में इलैक्ट्रॉनिक आधार पर निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रपत्र) में, निम्नलिखित भाग को रखा जाएगा, अर्थात्:

"भाग- क

1. (क) कंपनी की किस्म ....

एलएलपीआईएन ....

(ख) कंपनी का वर्ग ....

(ग) कंपनी की श्रेणी ....

(घ) कंपनी की उप श्रेणी ....

2. कंपनी के औद्योगिक कार्यकलाप का मुख्य प्रभाग

मुख्य प्रभाग का विवरण

क. कंपनी द्वारा निगमन पर अनुसरण किए जाने संबंधी उद्देश्यों का सार

कृपया प्रस्तावित कंपनपी और उससे संबंधित टिप्पणियों का उल्लेख करें

आप नीचे अपने नाम के आरक्षण के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं

3. प्रस्तावित अथवा अनुमोदित नाम के ब्यौरे

I.	
ii.	

फाइल को चुनें कोई फाइल नहीं चुनी गई

आटो-चेक सेव प्रस्तुत"

[फा.सं. 1/13/2013-सीएल-V भाग-III]

के.वी.आर. मूर्ति
24/12/2020

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि. संख्या 250 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए और दिनांक 12 मार्च, 2020 की सा.का.नि. संख्या 169 (अ), के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।